Point no 5 of the GO attached which can also be accessed at http://comtax.up.nic.in/Circulars/2013-14/Circular_no_1314048.pdf clearly mentions that the certificate is issued on the same day (immediately).

The information is also available in the Ease of Doing Business tab of department's website at http://comtax.up.nic.in/easeofbusiness/ease_of_doing_business.htm

पत्र सं0-विधि-4(1)-पंजीयन/(2013-2014) / 936/ 1314048 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक :20 सितम्बर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

विषय : व्यापारियों को "द्वार पर पंजीयन "(Doorstep Registration) की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में ।

वैट कर प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि टैक्स बेस का विस्तार हो । यह तभी संभव है जबकि अधिक से अधिक करदाता विभाग में पंजीकृत हों ताकि मूल्य संवर्धित कर व्यवस्था का उन्हें पर्याप्त लाभ मिले । इसके लिए आवश्यक है कि विभागीय प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए तथा करदाताओं को **"द्वार पर पंजीयन "(Doorstep Registration)** की सुविधा उपलब्ध करायी जाए । इसके लिए करदाताओं के लिए **"ई-पंजीयन "** की व्यवस्था आन लाइन आरम्भ की जा रही है , जिसके संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

1- व्यापारी विभागीय वेबसाइट पर जाकर आन लाइन पंजीयन हेतु फार्म-VII भरेंगे । उन्हें इसके साथ मुख्यालय के परिपत्र सं0 1213055 दिनांक 4-10-2012 तथा इसके संशोधन हेतु जारी परिपत्र सं0 1213058 दिनांक 12-10-2012 तथा परिपत्र सं0 1213065 दिनांक 9-11-2012 द्वारा अवधारित प्रपत्र प्रास्थिति सहित स्कैन करके अपने प्रार्थना पत्र के साथ आन लाइन संलग्न करने होंगे । यह कार्य वह स्वयं अपने कम्प्यूटर से , सी.एस.सी. से अथवा किसी प्राइवेट कम्प्यूटर सेन्टर से कर सकते हैं । इसके लिए वाणिज्य कर कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी ।

2- इस परिपत्र में संदर्भित पूर्व में निर्गत समस्त परिपत्र विभागीय वेबसाइट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

3- आन लाइन पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले व्यापारियों को रु0 25,000/- की जमानत से संबंधित जमानतनामा भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्कैन करके संलग्नक के रूप में देना होगा । जमानतनामा किस प्रकार का होगा , यह निर्देश मुख्यालय के परिपत्र सं0 1213055 दिनांक 4-10-2012 द्वारा पूर्व में ही निर्गत हैं ।

4- जैसे ही यह पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म-VII अपेक्षित संलग्नकों के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा , विभागीय सर्वर पर इनकी प्राप्ति से ही संबंधित व्यापारी द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन पूर्ण माना जाएगा । यदि आन लाइन प्रस्तुत पंजीयन प्रार्थना पत्र के भरकर अपलोड करने में किन्हीं प्रविष्टियों के संबंध में अथवा संबंधित अनुलग्नकों के संबंध में कोई त्रुटि/अपूर्णता / विसंगति प्रकाश में आती है तो पंजीयन अधिकारी उसे आन लाइन ही संबंधित व्यापारी को उसके द्वारा संसूचित ई-मेल आई डी पर इन्हें संसूचित करेगा । जब भी संबंधित व्यापारी द्वारा इन कमियों को दूर करते हुए संसूचनायें / प्रपत्र आन लाइन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं , उसी तिथि को ऐसा पंजीयन प्रार्थना पत्र आन लाइन प्राप्त होना माना जाएगा ।

5- संवेदनशील वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए इन अपेक्षित प्रपत्रों की आन लाइन प्राप्ति के तत्काल बाद व्यापारी को टिन (Tax Payer's Identification Number) आन लाइन ही जारी किया जाएगा तथा संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों को यह टिन उनकी पंजीयन जाँच के उपरान्त जारी कर दिया जाएगा । यह पंजीयन जाँच सामान्यतया ऐसे प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण के 15 दिन के अन्दर निष्पादित की जाएगी ।

6- पंजीयन प्रार्थना पत्र की वांछित प्रपत्रों की आन लाइन प्राप्ति के बाद पंजीयन अधिकारी द्वारा व्यापारी द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर पर वार्ता कर जाँच सर्वेक्षण की तिथि नियत कर दी जायगी यह संसूचित तिथि उक्तानुसार आन लाइन प्रपत्रों की प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत होगी । इस विनिश्चित तिथि को व्यापारी को पंजीयन जाँच करानी होगी । पंजीयन

जाच हेतु जाँच अधिकारी अपने साथ व्यापारी द्वारा आन लाइन प्रस्तुत किए गए पंजीयन प्रार्थना पत्र एवं संलग्नक के रूप में प्रस्तुत सभी स्कैन्ड प्रमाण पत्रों /प्रपत्रों का प्रिंट लेकर जायेंगे ।

7- पंजीयन जाँच के बिन्दु भी परिपत्र सं0-1213055 दिनांक 4-10-2012 के साथ संसूचित हैं तथा इसी संसूचित पंजीयन जाँच की तिथि को व्यापारी को उपर्युक्त वर्णित जमानत नामा भी मूल रूप में जाँच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । जाँच अधिकारी इस जाँच के समय व्यापारी द्वारा प्रस्तुत आन लाइन पंजीयन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र / प्रपत्र का सत्यापन इनसे संबंधित मूल प्रतियों से करेगा जिन्हे संबंधित व्यापारी को जाँच के समय जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8- जाँच अधिकारी सभी प्रमाण पत्रों / प्रपत्रों का उक्तानुसार सत्यापन करने के बाद इन प्रमाण पत्रों / प्रपत्रों की स्कैन्ड प्रतियों को अपने नाम , पदनाम , दिनांक एवं हस्ताक्षर के साथ अटैस्ट करके , जाँच सर्वेक्षण की प्रति से साथ संबंधित व्यापारी की पत्रावली पर रखेगा । साथ ही अपने लाग इन से विभागीय वेबसाइट पर जाकर यह टिप्पणीं संबंधित व्यापारी के संबंध में अंकित करेगा कि प्रश्नगत व्यापारी की पंजीयन जाँच अमुक दिनांक को निष्पादित की गयी है तथा पंजीयन जाँच के बाद संबंधित व्यापारी पंजीयन योग्य पाया गया है अथवा नहीं । यदि व्यापारी पंजीयन योग्य नहीं पाया जाता है तो ऐसे कारणों का सांक्षिप्त उल्लेख भी अंकित करेगा ।

9- बायोमैट्रिक का कार्य प्रश्नगत व्यापारी द्वारा इसके बाद किसी कार्यदिवस पर अधिकतम एक माह के अन्तर्गत संबंधित वाणिज्य कर कार्यालय में जाकर किया जाएगा ।

10- पंजीयन जाँच का कार्य खण्डों में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर तथा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा किया जाएगा । असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों से संबंधित पंजीयन जाँच का कार्य तथा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा संवेदनशील वस्तुओं से पृथक वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों से संबंधित पंजीयन जाँच का कार्य निष्पादित किया जाएगा ।

11- यदि उपरोक्त पंजीयन जाँच के समय जाँच अधिकारी को कोई त्रुटि / अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसका उल्लेख अपनी जाँच टिप्पणीं में उसके द्वारा किया जाएगा तथा यदि यह त्रुटि / अनियमितता प्रक्रिया संबंधी है तो इसे दूर करने के लिए पंजीयन अधिकारी पंजीयन जाँच के ही समय इन त्रुटियों को लिखित रूप में सूचित करते हुए ,ऐसे व्यापारी को इन्हें दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय देगा तथा दी गई इस सूचना की एक प्रति व्यापारी की पत्रावली पर भी रखी जाएगी । यदि यह त्रुटि / अनियमितता इस अवधि में दूर नहीं की जाती है तो पंजीयन अधिकारी द्वारा संबंधित व्यापारी को उपरोक्तानुसार जारी पंजीयन निलम्बित करते हुए इसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी ।

12- उपरोक्त पंजीयन जाँच के समय यदि उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा 17(11) में वर्णित कोई तथ्य स्पष्ट होते हैं तो इसकी टिप्पणीं करते हुए जाँच अधिकारी , ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को संबंधित तथ्य संसूचित करेगा तथा उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही तत्काल नियमानुसार निष्पादित की जाएगी ।

13- पूर्व निर्गत परिपत्रों द्वारा पंजीयन के संबंध में जारी निर्देश आन लाइन पंजीयन की प्रक्रिया के लिए उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें ।

14- ई-पंजीयन की उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 2 अक्टूबर , 2013 से आरम्भ होगी ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।
(11) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलस़फा लखनऊ।
(29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(33) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(35) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
(38) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुॅजगली,चौक,वाराणसी ।
(45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।

(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।

(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।

(50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।

(51) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ

(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।

(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।

(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।

(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।

(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।

(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।

(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।

(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।

(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।

(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।

(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।

(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)

(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश